

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एफ. सी-3-1/94/3/1

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 1994

प्रति,

शासन के समस्त विभाग।

विषय:—शासकीय विभागों में ढिलाई तथा भ्रष्टाचार का उन्मूलन/अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए मापदण्ड।

संदर्भ:—इस विभाग का समसंख्यक परिपत्र दिनांक 5 जनवरी, 1994।

उपर्युक्त विषयक इस विभाग के संदर्भित परिपत्र के पैरा 4 के संदर्भ में, निदेशानुसार, निवेदन है कि उक्त जानकारी संलग्न प्रपत्र में दिनांक 23-1-94 तक, तीन प्रतियों में उपलब्ध करावें।

संलग्न.—प्रपत्र

हस्ता/-
(यू. एस. बिसेन)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

प्रपत्र

वर्ष 1993 में 55 वर्ष की आयु या 25 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर नियमानुसार की गई छानबीन की कार्यवाही का वार्षिक प्रतिवेदन

विभागाध्यक्ष कार्यालय का नाम	विभागीय संवर्ग का नाम (नि.श्रे.लि./उ.श्रे.लि./सहायक/पटवारी/शीघ्रलेखक आदि)	संवर्ग में शामिल कुल शास. सेवकों की संख्या जिन्होंने वर्ष 1993 में 25 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली थी	संवर्ग में शामिल कुल शास. सेवकों की संख्या जिन्होंने वर्ष 1993 में 55 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली थी	वर्ष 1993 में हुई समीक्षा बैठक की तिथि एवं सेवा में निरंतर रखने के अयोग्य पाए गए सेवकों की संख्या	कितने सेवकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

नोट:—जहां संवर्ग न हो वहां श्रेणीवार जानकारी दी जाये।

2. उपर्युक्त जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-9) द्वारा संकलित की जायेगी.

हस्ता/-
(यू. एस. बिसेन)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.